अध्याय-प्रथम
शोध परिचय

अध्याय - प्रथम
शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना :-

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्य पूर्ण विकास में योग देती है। उसकी वैयक्तिकता का पूर्ण विकास करती है, उसे अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देती है, उसे जीवन और नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वों के लिए तैयार करती है, और उसके व्यवहार, विचार और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती है जो समाज देश और विश्व के लिए हितकर होता है।

शिक्षा मनुष्य तथा समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने वाली विकास की सीढ़ी है। शिक्षा मानव के अन्तर्मन को यथार्थ एवं सत्य का परिचय कराती है। शिक्षा वह साधन है, जिसके द्वारा कोई समाज संस्कृति को जीवित रखता है एवम प्रसार करता है। यह सामाजिक समस्याओं को समझने एवम सामाजिक तनावों और परिवर्तनों को झेलने के लिए अपरिहार्य है। इसे ऐसा साधन भी माना जाता है जिसके द्वारा जनता की सामान्य उत्पादकता बढ़ती है और इस प्रकार जीवन का स्तर ऊपर उठता है। अच्छी सेहत, व्यक्तित्व के सामान्य विकास एवं बेहतर सामाजिक जीवन की दृष्टि से जीवन की गुणवत्ता का घनिष्ठ सम्बन्ध व्यक्ति की शैक्षिक स्थिति से होता है। शिक्षा किसी व्यक्ति की क्षमताओं को साकार करने की प्रक्रिया होती है तथा समाज के सामने उसकी स्वाभाविक योग्यताओं और रूचियों को उभारती है। शिक्षा के महत्व को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाविदों की परिभाषाओं को समझना आवश्यक है।

महात्मा गांधी ने कहा है कि " शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य में अन्तर्निहित शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक श्रेष्ठता को प्रकाश में लाना है।" **रूसो** ने कहा है कि " शिक्षा आनन्ददायक, तर्कयुक्त, सन्तुलित, उपयोगी और प्राकृतिक जीवन के विकास की प्रक्रिया है।" **पेस्टोलाजी** ने कहा है कि " शिक्षा मानव की आन्तरिक शक्ति की प्राकृतिक, सर्वांगीण एवं विकासोन्मुख प्रगति है।"

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक उन्नयन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

किसी भी देश की प्रगति में वहाँ की स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षित नारी समूह ही परिवार और समाज को सुसंस्कृत बनाती है इस कारण मनु ने कहा था-" यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमंते तत्र देवता " अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहॉ देवता निवास करते है। इसका अर्थ यह कि जहॉ नारी को गौरव दिया जाता है, उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाती है और उसको समाज के निर्माण में पुरूषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वहॉ देवता निवास करते है।

हमारा भारत एक ऐसा देश है जहॉ विभन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग रहते है। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी हमने एकता को राष्ट्रीय लक्ष्य माना है। इस प्रकार हम अनेकताओं को भुलाकर एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकते है। इस एकता को कायम रखने के लिए भारतवासियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है। इस दिशा में शिक्षा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के समान अवसर सभी बालक एवम बालिकाओं को दिए जाए।

1.2 प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा का इतिहास :

वैदिक युग में शिक्षा :

वैदिक काल में घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, शकुन्तला आदि के समान अनेक विदुषी महिलाएं थी। यह इस बात का प्रमाण है कि उनको पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। वैदिक काल में स्त्रियों को शारीरिक रचना की भिन्नता के कारण कोमल मानने के बाद भी समस्त प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने में सक्षम माना गया। नारी की मूल शिक्षा में गृहकार्य दक्षता, ललित कला विशेषज्ञता तथा वेदों के ज्ञान का प्रमुख स्थान था।

मनुस्मृति के अनुसार माता पिता का मूल कर्तव्य विवाह पूर्व बालिकाओं को सर्वांग शिक्षा देना था।

ब्राम्हण युग में शिक्षा :

ब्राम्हण युग में स्त्रियों की स्थिति घर की चार दीवारी में सीमित कर देने से स्त्री शिक्षा को बहिष्कृत एवम उपेक्षित किया गया। इस कारण उक्त समय की प्रचलित सूक्तियॉ जैसे :- शुद्र, एवं नारी को पढ़ाना नही चाहिए , स्त्री नरक का द्वार है इत्यादि।

बौद्ध युग में शिक्षा :

प्राचीन बौद्ध युग में स्त्रियों का स्थान पुरूषों से निम्न होने से उनका संघ में प्रवेश वर्जित था, किन्तु बाद में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा देकर, उनकी शिक्षा को नव जीवन प्रदान किया। बाद में, उनके लिए पृथक बिहारों की स्थापना की गयी।

1.3 मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा :

डॉ. एफ. इ. केई के शब्दों में – "पर्दा प्रथा ने, जिसने छोटी बालिकाओं के अलावा सब मुस्लिम स्त्रियों को एकान्त में बन्द रखा, उनकी शिक्षा को महान कठिनाई का कारण बना दिया।"

पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा का ह्रास हुआ। पर्दा प्रथा के कारण केवल छोटी या अल्प आयु की बालिकाए कभी - कभी मकतबों में जाकर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करती थी। राज्य या समाज की ओर से स्त्रियों की शिक्षा के लिए अलग से कोई शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था नही की गई थी। केवल सम्पन्न घरों की बालिकाओं की शिक्षा का प्रबन्ध उनके घर पर ही कर दिया जाता था। फलस्वरूप निम्न एवं निर्धन वर्ग की बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती थी।

इस काल की कुछ प्रमुख विदुषियों में बाबर की पुत्री गुलबदन, सुल्ताना रजिया, सुल्ताना सलीमा, नूरजहाँ, मुमताज महल तथा औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा के नाम उल्लेखनीय है। हिन्दु विदुषियों में रानी रूपमती, दुर्गावती, अहिल्याबाई तथा शिवाजी की माता जीजाबाई प्रमुख थी।

1. 4 अंग्रेजी शासन काल में स्त्री शिक्षा :

भारत में 1601 से 1947 तक अंग्रेजों का प्रभाव रहा। ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासनकाल में शिक्षा वैसे ही उपेक्षित थी, जो कुछ प्रयास किए गए थे वे केवल बालकों की शिक्षा के लिए किए गए थे। स्त्री शिक्षा को अनावश्यक मानकर, उसकी ओर नाममात्र भी ध्यान नही दिया गया। सम्भवत: इसका कारण यह था कि उन्हें अपने प्रशासकीय एवम व्यावसायिक कार्यालयों के लिए शिक्षित महिलाओं की आवश्यकता नही थी। ऐतिहासिक

दृष्टि से देखने से ज्ञात होता है कि सन् 1984 से ही अंग्रेजी सरकार ने स्त्री शिक्षा की ओर अपनी थोड़ी बहुत रूचि का संकेत दिया, जिसका आभास निम्न प्रतिवेदनों के अध्ययन से होता है ।

1. 4. 1 वुड डिस्पेच प्रतिवेदन (1854 - 1882) :

वुड डिस्पेच प्रतिवेदन में यह कहा गया कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए गए। भारत में स्त्री शिक्षा के महत्व को समझते हुए सरकार ने लोकनिधि में से बालिकाओं की शिक्षा के लिए सहायता देना प्रारम्भ किया।

1. 4 , 2 हण्टर कमीशन (1882 - 1902) :

हण्टर कमीशन ने पहली बार बालिकाओं की शिक्षा के प्रश्न पर विचार किया और निम्नलिखित संस्तुति प्रस्तुत की :-

1. बारह वर्ष से ऊपर आयु वाली बालिकाओं को शुल्क देने से मुक्त किया गया।
2. बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया गया।
3. प्राथमिक एवम माध्यमिक विद्यालयों के हेतु साधारण पाठ्यक्रम का प्रावधान रखा गया।
4. समुचित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई।

इन संस्तुतियों पर सरकार ने कोई ठोस कदम नही उठाया।

1. 5 स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा :

15 अगस्त 1947 को भारत परतंत्रता की बेड़िया तोड़कर स्वतंत्र हुआ। तत्पश्चात स्त्री शिक्षा की दिशा में सक्रिय कदम उठाए गए।

1. 5. 1 विश्व विद्यालय शिक्षा आयोग (1948 - 1949) :

डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता पर पर्याप्त बल दिया। इस आयोग के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित थे।

Regional Institute of Education LIBRARY

1. स्त्रियों को पुरूषों के समान शैक्षिक अवसर प्राप्त होने चाहिए।
2. ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि स्त्रियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वे अच्छी माता और अच्छी गृहिणी बन सकें।
3. स्त्रियों की शिक्षा में गृह शास्त्र और गृह प्रबन्ध की समुचित शिक्षा का प्रावधान अवश्य हो, उन्हें इन विषयों के लिए अधिक प्रेरित किया जाए।
4. स्त्रियों को अपने हितों के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने में योग्य पुरूषों और स्त्रियों द्वारा परामर्श दिया जाए।

सन् 1947 में भारत में स्वतंत्र सरकार ने देश की बागड़ोर संभाली। 26 जनवरी 1950 को भारतीय जनता ने स्वयं को अपना संविधान निष्ठापूर्वक अर्पित किया।

1. 5. 2 राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958) :

भारत सरकार ने सन् 1958 में स्त्री शिक्षा पर विचार करने हेतु 'श्रीमति दुर्गाबाई देशमुख' की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने नारी शिक्षा पर सम्बन्धित समस्याओं पर विचार कर अपना प्रतिवेदन सरकार को पुन: प्रस्तुत करते हुए निम्न सिफारिशें की :-

1. सरकार को स्त्री शिक्षा को कुछ समय के लिए विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए एवम उसके प्रसार का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।
2. सभी राज्यों के लिए केन्द्र सरकार को स्त्री शिक्षा के लिए नीति निर्धारित कर इस नीति के क्रियान्वयन हेतु अधिक धन उपलब्ध कराना चाहिए।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष प्रयास किए जाये एवम व्यय केन्द्र सरकार वहन करें।
4. राज्यों में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए बालिका एवम स्त्री शिक्षा की राज्य परिषदों को गठन किया जाना चाहिए।
5. प्राथमिक एवम माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा की अधिक सुविधाए उपलब्ध कराई जाए।

1. 5. 3 राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद (1959) :

देशमुख समिति को स्वीकार करके केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया।

इसके प्रमुख कार्य अधोलिखित है :-

1. विद्यालय स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के प्रसार और सुझाव देना।
2. उक्त क्षेत्रों में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के प्रसार और सुझाव की रीतियों, कार्यक्रमों आवश्यकताओं आदि के बारे में सुझाव देना।
3. उक्त क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों के अधिकाधिक उपयोग के उपाय सुझाना।
4. स्त्री शिक्षा के पक्ष में जनमत संग्रह करना।
5. किए गए कार्यो की प्रगति का मूल्याकंन एवम भावी प्रगति की योजनाए बनाना।
6. स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर अनुसंधान करना, सर्वेक्षण करना, सेमिनार करना या आवश्यकता होने पर समितियों का गठन करना।

1. 5. 4 हंसा मेहता समिति (1962) :

राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति ने बालक एवं बालिकाओं के पृथक पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं संभावना पर विचार करने के लिए श्रीमति हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने दो सुझाव प्रस्तुत किए।

1. विद्यालय स्तर पर बालिकाओं व बालकों के पाठ्यक्रमों में अन्तर नही होना चाहिए।
2. भारत में जनतंत्रीय समाज निर्माण की प्रक्रिया के चलते अन्त: कालीन अवधि में बालक एवम बालिकाओं के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक भेदों पर आधारित पृथक-पृथक पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए।

1. 5. 5 शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन (1964 - 66) :

शिक्षा आयोग ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए निम्न संस्तुतियॉ प्रस्तुत की है :-

1. बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता प्रदान कराई जानी चाहिए ।
2. बालिकाओं की शिक्षा में केन्द्र राज्य दोनो रूचि लें।
3. बालिकाओं को विज्ञान शिक्षण की ओर प्रेरित किया जाए।
4. स्त्री शिक्षा कार्यक्रम हेतु धन, प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
5. छात्रओं हेतु छात्रवृत्ति व छात्रावास की व्यवस्था की जाए।

1. 5. 6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं बालिका शिक्षा :

महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए :-

1. बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा का समयबद्ध चरण बद्ध कार्यक्रम (विशेषकर 1990 तक प्राथमिक स्तर तक तथा 1995 तक उच्च प्राथमिक स्तर) बनाया गया।
2. 1995 तक 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा का समयबद्ध कार्यक्रम तय किया गया।
3. तकनीकी व्यावसायिक तथा विद्यमान उभरती हुई प्रौद्योगिकी शिक्षा में महिलाओं के लिए अवसर बढ़ाना ।
4. महिलाओं की समानता बढ़ाने वाले शैक्षिक कार्य कलापों की समीक्षा तथा पुनर्गठन के प्रावधान किए गए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बालिकाओं की शिक्षा हेतु प्रावधान :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुच्छेद 4.2 तथा 4.3 के अनुसार निम्न प्रावधान किए गए है:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात की परिकल्पना की गई है कि शिक्षा को महिलाओं के स्तर में मूल परिवर्तन लाने के लिए एक अभिकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाए।
2. पाठ्यपुस्तकों, पाठ्य चर्चा, शिक्षकों, निर्णयकताओं तथा प्रशासकों के प्रशिक्षण एवं अभिनव तथा शिक्षण संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से नए मूल्यों के विकास को बढ़ावा दिया जायेगा।
3. लड़के एवं लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की नीति पर पूरा जोर देकर अमल किया जायेगा ताकि तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पारंपरिक रवैयों के कारण चले आ रहे लिंग मूल विभाजन को खत्म किया जा सके।

1.6 संवैधानिक व्यवस्थाएँ :

उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में शिक्षा का प्रावधान स्पष्ट एवं सुनिश्चित किया गया है जिनमें निम्न प्रावधान प्रमुख है :-

अनुच्छेद 45 :

" राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालक बालिकाओं को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपलब्ध करने का प्रयास करेगा।"

अनुच्छेद 46 :

" राज्य, जनता के दुर्बल वर्गो विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा ।"

अनुच्छेद 15 (1) :

" राज्य, किसी भी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा ।"

अर्थात् संविधान अनुसार स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे वह शिक्षा के अमूल्य प्रकाश से ज्योतिर्मय होकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी लेकर महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह कर सकें ।

1.7 महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति :

बालिकाओं/महिलाओं की शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए जो मिश्रित प्रयास किए गए उनके फलस्वरूप आज की भारतीय नारी के गौरव व उसके मानवीय, शैक्षिक व आर्थिक स्तर में न केवल बढ़ोतरी हुई है बल्कि आज की भारतीय महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हुए योगदान दे रही है ।

संवैधानिक प्रावधानों प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकारण, सबके लिए शिक्षा व ' सर्वशिक्षा अभियान' कार्यक्रमों के लागू होनेके पश्चात भी आज शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाएँ बालकों की अपेक्षा पिछड़ी हई है । यद्यपि बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाने में पर्याप्त सफलता मिली है । परन्तु संविधान के अनुच्छेद 45 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सन् 1957 तक शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाना था, जो वर्तमान सत्र-2002 - 03 तक भी प्राप्त नही किया जा सका है । तथा अब इसका लक्ष्य 2010 तक रखा गया है ।

तालिका क्र. 1.1 को देखने से पता चलता है कि 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर का प्रतिशत 36.23 था जो सन् 1991 में बढ़कर 52.21 प्रतिशत हो गया जिसके अनुसार 64.13 प्रतिशत पुरूष व 39.29 प्रतिशत स्त्रियाँ साक्षर थी, इसमें ग्रामीण स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत 30.62 व नगरीय स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत 6 4.05 था । 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर का प्रतिशत बढ़कर 65.38 हो गया है । जिसके अनुसार पुरूष साक्षरता की दर 75.85 प्रतिशत व स्त्रियों की साक्षरता दर

54.16 प्रतिशत है। स्त्रियों की साक्षरता दर में 1991 से 2001 के बीच 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की साक्षरता दर का प्रतिशत 46.70 व नगरीय क्षेत्र में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 73.10 है, जो स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक साक्षरता दर है। नगरीय एंव ग्रामीण क्षेत्र के साक्षरता दर के प्रतिशत में काफी अंतर है।इससे यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियाँ अभी भी शिक्षा में पिछड़ी हुई है। इस महत्वपूर्ण प्रयास में 70 प्रतिशत कार्य महिलाओं के लिए हो रहा है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के इतने वर्षो पश्चात भी हमारे देश में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत संतोषजनक नही है।

तालिका क्रमांक **(1.1)**

भारत में लिंग आधार पर ग्रामीण - नगरीय साक्षरता दर प्रतिशत में

1991	क्षेत्र	पुरूष	स्त्री	व्यक्ति
	ग्रामीण	57.87	30.62	44.69
	नगरीय	81.09	64.05	73.08
	कुल	64.13	39.29	52.21
2001	क्षेत्र	व्यक्ति	पुरूष	स्त्री
	ग्रामीण	59.40	71.40	46.70
	नगरीय	80.30	86.70	73.10
	कुल	65.38	75.85	54.16

1. 8 मध्यप्रदेश में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति :

तालिका क्र. 1.2 को देखने से पता चलता है कि सन् 1991 की जनगणना के अनुसार देश भर में 52.21 प्रतिशत लोग साक्षर है। जबकि मध्यप्रदेश में शिक्षा का प्रतिशत मात्र 44.67 प्रतिशत है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में महिला साक्षरता दर मात्र 29.35 प्रतिशत है, जबकि महिला साक्षरता का राष्ट्रीय प्रतिशत 39.29 प्रतिशत था।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार देश भर में 65.38 प्रतिशत लोग साक्षर है, जबकि मध्यप्रदेश में शिक्षा का प्रतिशत 64.08 है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में महिला साक्षरता की दर 50.55 प्रतिशत है, जबकि साक्षरता दर का राष्ट्रीय प्रतिशत 54.16 प्रतिशत है।सन् 2001 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में ग्रामीण महिला साक्षरता दर का प्रतिशत 42.96 है व नगरीय महिला साक्षरता दर का प्रतिशत 70.6 2 है अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बालिकाओं की साक्षरता दर बहुत कम है। प्रदेश के कुल 45 जिलों में से 40 जिलों में साक्षरता दर का प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिशत से कम है।

तालिका क्रमांक-1.2

मध्यप्रदेश में लिंग आधार पर ग्रामीण नगरीय साक्षरता दर प्रतिशत में

वर्ष	क्षेत्र	व्यक्ति	पुरूष	स्त्री
1991	ग्रामीण	35.52	50.49	19.17
	नगरीय	70.67	80.98	51.74
	कुल	44.67	58.54	29.35
2001		व्यक्ति	पुरूष	स्त्री
	ग्रामीण	58.10	72.10	42.96
	नगरीय	79.67	87.78	70.62
	कुल	64.08	76.50	50.55

प्रदेश के शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण इसके ऐतिहासिक स्वरूप में निहित है। मध्यप्रदेश का गठन स्वाधीनता से पूर्व चार भिन्न-भिन्न राज्य समझ जाने वाले महाकौशल, मध्यभारत, भोपाल (मालवा) तथा विन्धयप्रदेश को मिलाकर किया गया है। महाकौशल स्वाधीनता से पूर्व ब्रिटिश प्रान्त का एक भाग रहा है। इस कारण यह क्षेत्र शैक्षिक विकास में मध्यभारत व विन्धयप्रदेश की अपेक्षा आगे रहा है। मध्यप्रदेश के गठन के बाद भोपाल को राजधानी बना दिये जाने से इसके आस पास के क्षेत्रों का विकास तीव्रता से हुआ, परन्तु दूर दराज के क्षेत्र उपेक्षित ही रह गए। विन्धय प्रदेश स्वाधीनता के पूर्व ही एक वनीय व निर्धन क्षेत्र रहा है। स्वाधीनता के बाद भी इसे अन्य क्षेत्रों के समान प्रगति के अवसर प्राप्त नही हो सके। यहाँ की आर्थिक विपन्नता, बड़ी संख्या में अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियों की उपस्थिति एंव घने जंगलों में स्थित छोटे - छोटे निवास स्थानों के कारण शिक्षा को लोकप्रिय एंव जनसुलभ बनाना एक दुसाध्य कार्य है। शिक्षा के विद्यालयीन क्षेत्र में, विशेषकर बालिकाओं के लिए , अनेकानेक प्रयत्न करने के पश्चात आज भी बालिकाओं की बड़ी संख्या विद्यालय पहुँच ही नहीं पाती, अथवा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के पहले ही शाला त्याग देती है।

यद्यपि बालिकाओं और महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है परन्तु महिलाओं की शिक्षा वांछित स्तर तक नही पहुँच पाई है। इसके पीछे कई कारण उत्तरदायी है जिनमें :-

- भारतीय समाज में रूढ़िवादिता एवं संकुचित संस्कार (मोक्ष प्राप्ति हेतु) के फलस्वरूप पुरूषों का वर्चस्व स्थापित है।

- लड़कियों को पराया धन मानने के कारण पालक उनकी शिक्षा की अपेक्षा विवाह के लिए अधिक चिंतित रहते है।
- पालक 8-10 वर्ष की आयु के बाद बालिका को किसी समूह में बैठाकर शिक्षा ग्रहण करने के पक्ष में नहीं रहते है।
- गरीबी एवं आर्थिक दबाव के कारण भी लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभागिता कम है। सीमित आय होने के कारण पालक पुत्रियों की शिक्षा के स्थान पर पुत्र की शिक्षा को वरीयता प्रदान करते हैं।
- बालिकाओं का पाठयक्रम पूरा होने के पहले पाठशाला छोड़ देना तथा अवरोधन एवं अपव्यय की समस्या उत्पन्न करना है।

उपरोक्त कारणों के पीछे अनेक सामाजिक,धार्मिक,आर्थिक व मनोवैज्ञानिक कारक है। मनोवैज्ञानिक कारकों में एक प्रमुख तत्व बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा का होना है। किसी प्रकार की उपलब्धि के लिए काम करने की अभिप्रेरणा को उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा गया है। जिन बच्चों का आकांक्षा स्तर उच्च होता है वो किसी भी परीक्षा या प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरों की अपेक्षा अधिक अभिप्रेरित रहते है। उपलब्धि अभिप्रेरणा के विकास में परिवार, वातावरण, विद्यालय व समाज इत्यादि तत्व (कारक) सहायक होते है। ये बालकों के मूल्यों एवं आकांक्षाओं के द्वारा बालक की उपलब्धि अभिप्रेरणा पर प्रभाव डालते है। इस प्रकार जिन बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा उच्च होती है उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी प्राय: उच्च होती है इस प्रकार बालकों व बालिकाओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा उनकी शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। सर्वप्रथम अभिप्रेरणा को समझना आवश्यक है क्योंकि उपलब्धि अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा का एक छोटा सा तत्व है।

1.9 अभिप्रेरणा :

किसी भी कार्य करने के लिए जो कारक शरीर को गतिमान करते है। उनका सम्बन्ध अभिप्रेरणा से है।अभिप्रेरणा अंग्रेजी के शब्द Motivation से लिया गया है। जिसका उद्गम लैटिन भाषा के Mover शब्द से है। Mover का अर्थ होता है To move अर्थात गतिमान कर देना अर्थात जो भी कारक जीवन को गति देता है या किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, वही प्रेरक है।

प्रेरक का तात्पर्य व्यक्ति की उस आन्तरिक स्थिति से है जो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए क्रियाशील करता है। इसके अन्तर्गत व्यक्ति वातावरण को इस कार्य के लिए उपयोग में ला सकता है। प्रेरक के अन्तर्गत अन्तर्नोद (Drive), मानसिक स्थिति (Mental set) ,आवश्यकताएँ (Needs), इच्छाएँ (Wishes),

'विन्टरवाटम' 1958 ने पाया कि ऐसे बालकों की उपलब्धि आवश्यकता ' n - Ach' उच्च थी जिनकी माताओं ने उनसे आत्मनिर्भरता, स्वतंत्र व्यवहार, पाठ्यवस्तु आधिपत्य तथा निष्पत्ति की अपेक्षा या आशा की थी। ये माताएँ निम्न उपलब्धि आवश्यकता वाले बच्चों की माताओं की अपेक्षा अतृप्त पाई गई।

'फीदर' (1966) ने अपने अध्ययन में पाया कि सफलता की अनुभूति वाले छात्रों का उपलब्धि स्तर निम्न था। 'क्रुटोफ' 1963 ने पाया कि प्रखर सामान्य उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों में उपलब्धि आवश्यकता मे प्रखर निम्न उपलब्धि प्राप्त छात्रों की तुलना में उच्च अंक प्राप्त किए।

उपरोक्त अध्ययन से सिद्ध होता है कि उपलब्धि तथा उच्च उपलब्धि आवश्यकता (high- n - Ach) में सह सम्बन्ध है।

'आसुवेल' (1969) ने उपलब्धि अभिप्रेरणा में तीन घटक बतलाए है - ज्ञानात्मक अन्तर्नोद, आत्म उन्नयन, सम्बन्धता का विस्तृत प्रेरक।

'मैक्लिएंड' का मत है कि जब उपलब्धि आवश्यकता में सतत वृत्ति बनी रहती है जो उपलब्धि की तीव्र इच्छा होती है 'बनी'' 1699 के अनुसार उपलब्धि के प्रति अग्रसर होना असफलता के दूर से हटना है।

(Bandura & Waters) 1963, (Ender Persons.) 1983 बच्चों से माता पिता की अपेक्षाए भी उपलब्ध अभिप्रेरणा विकसित करने में महत्वपूर्ण है, जो माता पिता अपने बच्चों से कठोर श्रम तथा सफलता प्राप्त करने की अपेक्षा करते है वे बच्चों की सफलतो पर उन्हें प्रोत्साहित करते है तथा उपलब्धि सम्बन्धी कार्यो की प्रंशसा करते है। उनके बच्चों की उपलब्धि भी उच्च होती है।

क्योंकि बच्चों को परिवार, विद्यालय, समाज समूह आढि से निरन्तर प्रेरणा मिलती रहती है। यढि बच्चे का किसी अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन या पुरूस्कार ढिया जाता है तो बच्चा उस कार्य को और अच्छे से करने की कोशिश करता है अर्थात बच्चे को सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है और बच्चे की उपलब्धि में सुधार आता है। इसलिए उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को किसी न किसी तरह से प्रभावित करती है।

1.10 समस्या कथन :

"ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक आर्थिक स्तर व उपलब्धि अभिप्रेरणा के प्रभाव का अध्ययन"

1.11 शोध की आवश्यकता व महत्व :

सामान्यत: कहा जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात नारी की स्थिति में आश्चर्य जनक सुधार हुआ है। नारी सजग एवं सचेत होकर अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सफल रही है। परन्तु इस तथ्य की सत्यता मात्र कुछ औद्योगिक एवम राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक ही सीमित है। देश के शेष भागों में नारी आज भी शिक्षा के प्रकाश से वंचित है। इसे प्रकाश में लाने के लिए इस क्षेत्र में निरंतर शोध की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि सामाजिक पर्यावरण,आर्थिक सीमाओं एवं अन्य कारणों का गहराई से अध्ययन कर ऐसे मूल कारकों की खोज की जाए जो नारी के पिछड़ने पन का कारण बने हुए हैं, साथ ही इन कारकों को कारगर ढंग से स्त्री शिक्षा के रास्ते से हटाया जा सके। देश की वैज्ञानिक प्रगति एवम आर्थिक उन्नयन के लिए बालिकाओं की शिक्षा एक महत्वपूर्ण पक्ष है। प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं सबके लिए शिक्षा तथा सर्वशिक्षा अभियान इत्यादि कार्यक्रमों के लागू होने के बाद भी आज नारी वर्ग की शिक्षा में प्रतिभागिता प्रतिशत अत्यधिक कम है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं का शिक्षा में प्रतिभागिता प्रतिशत और भी कम है जहाँ एक ओर नारी शिक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, योजनाएँ बनाई जा रही हैं, परंतु फिर भी नारी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। फलत: नारी शिक्षा एक वर्ग विशेष तक सिमट कर रह गई है।

बालिकाओं में शिक्षा का प्रतिशत निम्न होने का एक कारण उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति होती है, सामाजिक, आर्थिक स्तर के अंतर्गत अभिभावकों का शैक्षिक स्तर, उनकी शिक्षा के प्रति जागरूकता, परिवार की कुल मासिक आय, परिवार का आकार आदि आते हैं। यह सभी कारक बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी है, जो बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। इनमें बालकों-बालिकाओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा की भूमिका प्रमुख है। जिन बच्चों में उपलब्धि की आवश्यकता ' n - Ach' लगातार बनी रहती है तब उपलब्धि प्राप्ति की प्रबल इच्छा होती है। उपलब्धि की आवश्यकता के बने रहने से आशय लगातार आशा और प्रोत्साहन के मिलने से है ।अर्थात् उनको सकारात्मक पुनर्बलन मिलता रहता है। जिन बच्चों की उपलब्धि की आवश्यकता उच्च होती है उनकी शिक्षा में उपलब्धि भी उच्च

होती है। जिन बालक-बालिकाओं का आकांक्षा स्तर उच्च होता है वो प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरों की अपेक्षा बहुत अधिक अधिप्रेरित रहते हैं। उपलब्धि एवं अभिप्रेरणा के विकास में परिवार, वातावरण, विद्यालय व समाज इत्यादि तत्व सहायक होते हैं। यह बालकों के मूल्यों एवं आकांक्षाओं के द्धारा बालक की उपलब्धि अभिप्रेरणा पर प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार बालक-बालिकाओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा व सामाजिक-आर्थिक स्तर दोनों ही उनकी शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। अत: शोध कार्य इसी दिशा में एक प्रयास है।

1.12 शोध उद्धदेश्य :

1. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र की उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. ग्रामीण एवम नगरीय क्षेत्र की उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. नगरीय क्षेत्र की उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
5. ग्रामीण क्षेत्र की उच्च स्तर की बालिकाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
6. नगरीय क्षेत्र की उच्च स्तर की बालिकाओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
7. ग्रामीण क्षेत्र की उच्च स्तर की बालिकाओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
8. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा तथा सामाजिक आर्थिक स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।

1.13 शोध परिकल्पनाएँ :

1. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नही है।
2. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा में कोई सार्थक अन्तर नही है।

3. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर में कोई सार्थक अन्तर नही है।
4. नगरीय क्षेत्र की उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर का कोई प्रभाव उनकी शैक्षिक उपलब्धि में नही पड़ता है।
5. ग्रामीण क्षेत्र की उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर कोई प्रभाव नही पड़ता है।
6. नगरीय क्षेत्र की बालिकाओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर कोई प्रभाव नही पड़ता है।
7. ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर कोई प्रभाव नही पड़ता है।
8. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा तथा सामाजिक आर्थिक स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही है।

1.14. शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या :

नगरीय क्षेत्र :

जनसंख्या की रिपोर्ट में शहरी क्षेत्र म्यूनिसिपल तथा केन्टोनमेन्ट बोर्ड नोटीफाइड ऐरिया तथा सिविल लाइन्स कहलाने वाले क्षेत्र आते है। अन्य ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या पाँच हजार से अधिक हो और जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर से कम न हों तथा जिसमें रहने वाले प्रौढ़ो की संख्या का तीन चौथाई भाग कृषि के अतिरिक्त अन्य रोजगार करता हो, उनकी गणना भी शहरी क्षेत्रों में की जाती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएँ अलग - 2 होती है। शहरों में उद्योग धन्धे व कारखाने अधिक होने के कारण लोगो को रोजगार करने की सुविधाएँ रहती है। शहर में गाँव की अपेक्षा आवागमन के सुविधाजनक साधन उपलब्ध रहते है। शहर के लोग रूढ़िवादी विचार के न होकर उन्नतिशील विचारों के रहते है। लेकिन शहर में अधिक जनसंख्या रहने के कारण गाँव जैसी संस्कृति को बनाए रखने की भावना रहती है।

ग्रामीण क्षेत्र :

ग्रामीण क्षेत्र, जनसंख्या रिपोर्ट में 5000 आबादी तक के क्षेत्र माने गये है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की 70% के लगभग जनता गाँवो में निवास करती है। गाँवो में विभिन्न उत्पत्तियों, वंशों, भाषाओं और रूचियों के होते हुए भी ग्राम की जनसंख्या एक इकाई बन जाती है। ग्राम की एकता के विषय में 'बरट्रेन्ड' ने लिखा है "ग्रामीण

रंगमंच में एकता यन्त्रवत है सद्भाव पूर्ण एकीकरण की कुंजी और ग्रामों में पूर्ण एकता पाई जाती है।"

डॉ. एम. एन. श्री निवास का कथन है, ग्राम आज भी अधिकांश आत्मनिर्भर है। वह स्वयं के लिए अपनी स्वयं की ग्राम सभा, पहरा, रखवाली, कार्यालय और कर्मचारी रखता है। ग्रामीण जीवन का प्रकृति से, भूमि से अत्यन्त निकट का सम्बन्ध होता है। इस प्रकृति सान्निध्य के फलस्वरूप ही ग्रामीण जीवन में धर्म की प्रधानता, अन्धविश्वास, ईश्वरवाद एवं भाग्यवादी जैसी विशिष्टताओं का समावेश होता है। ग्रामीण जीवन में मूल व्यवसाय कृषि होता है। वैसे कृषि के अलावा भी कुछ व्यक्ति छोटे व्यवसाय भी करते है। ग्रामों में सड़के पक्की न होने के कारण, बिजली पर्याप्त रूप में उपलब्ध न होने के कारण, अन्ध विश्वास अधिक होने एवम कम पढ़े लिखे होने के कारण गाँव की पूर्ण उन्नति नही हो पाती है।

शैक्षिक उपलब्धि :

शैक्षिक उपलब्धि से तात्पर्य शालेय विषयों में प्रवीणता एवम कुशलता से होता है जो प्राय: शिक्षकों द्वारा निर्मित किए परीक्षणों में प्राप्त किए गए अंको के द्वारा निर्धारित की गई हो। इसके मापन का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी ने किस सीमा तक विद्यालय द्वारा निर्धारित किए गए ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है।

प्रस्तुत शोध में शैक्षिक उपलब्धि से आशय उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं के कक्षा पाँचवी, छठवीं व सातवीं के वार्षिक परीक्षा फल से है।

उपलब्धि अभिप्रेरणा :

किसी भी प्रकार की उपलब्धि के लिए काम करने की अभिप्रेरणा को उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा गया है। अर्थात कठिन कार्यो में निपुणता करना ही उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि की आवश्यकता ' n - Ach' वह व्यवहार है, जो व्यक्ति के सर्वोत्तम प्रयत्न प्रदर्शित करता हो, दूसरों से बेहतर हो या कोई कार्य पूर्ण करती हो।

'एटकिन्सन' के अनुसार - उपलब्धि आवश्यकता ' n - Ach' के उद्बुद्ध होने तथा ततजन्य निषपादन में तीन घटक महत्वपूर्ण है।

1. व्यक्ति की उपलब्धि आवश्यकता ' n - Ach' का स्तर ।
2. उसकी अपेक्षाएँ (जिसे अपनी सफलता के आधार पर निश्चित किया है।

3. परिणाम से लाभ।

'मैक्लिएंड' तथा अनेक साथियों ने अभिप्रेरणा का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। इनके अध्ययन में पाया कि वह बालक अधिक उपलब्धि प्राप्त करते है जिनमें अर्जन करने की अधिक आवश्यकता प्रतीत होती है वह कार्यो की पूर्ति अधिक जल्दी कर लेते है जब उनसे कहा जाता है कि ऐसे कार्य उनकी मानसिक योग्यता के प्रतीक है। क्योंकि उपलब्धि की आवश्यकता सम्बन्धी अभिप्रेरक बालकों के सामाजीकरण के ही अंश होते है। इस कारण इस अभिप्रेरक की शक्ति अभिभावकों की आशाओं और मूल्यों पर तथा बालक के अपने अभिभावकों और शिक्षकों के साथ ताद्दात्मीकरण पर निर्भर होता है।

'विन्टरबोटम' (1953) ने पाया कि उन माताओं के बालकों ने अधिक प्रदर्शित किया जिनकी माताएँ उनसे बहुत आशाएँ रखती थी उन माताओं के बालकों की अपेक्षा जो बहुत ही कम मांगे उनके सामने रखती थी। बड़े बालकों के साथ विन्टर बोटम ने एक अन्य अध्ययन में पाया कि सबसे दृढ़ ' n - Ach' उन बालकों में था जिनकी माताए उनसे बहुत छोटी आयु से ही स्वाबलम्बी बनने की आशा रखती थी।

सामाजिक आर्थिक स्तर :-

सामाजिक स्तर व्यक्ति की समाज में स्थिति को प्रदर्शित करता है , यह स्थिति विशेष को समाज के अन्य सदस्यों के साथ अपने सम्बन्धों के परिणामस्वरूप प्राप्त होती है। किसी व्यक्ति को समाज में उसके सामाजिक स्तर के अनुरूप ही सम्मान एवम महत्व प्रदान किया जाता है। सामाजिक स्तर के निर्धारण में व्यक्ति के व्यवसाय, सामाजिक संस्थाओं से सम्बन्ध आवास का प्रकार, व्यक्ति द्वारा जुटाई गई आधुनिक सुविधाओं एवं उसकी जीवन शैली को आधार बनाया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति को विशिष्ट सामाजिक स्तर उसके आर्थिक संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही कारण है कि वर्तमान समय में हम इसे सामाजिक एवं आर्थिक स्तर कहते है।

1.15 शोध कार्य का सीमाकंन :

1. प्रस्तुत अध्ययन केवल विदिशा जिले के शहरी एवम ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित है।
2. प्रस्तुत अध्ययन केवल उच्च प्राथमिक स्तर तक ही सीमित है।
3. प्रस्तुत अध्ययन में केवल शासकीय विद्यालय को ही चुना गया है।
4. प्रस्तुत अध्ययन नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत बालिकाओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा व सामाजिक आर्थिक स्तर का ज्ञात करने तक सीमित है।
5. प्रस्तुत अध्ययन में केवल 120 उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं तक सीमित है जिनमे 60 नगरीय क्षेत्र व 60 ग्रामीण क्षेत्र से चुनी गयी है।